न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 105/2017
प्रविष्टि दिनांक 05.12.2017

1—रामबिलास पुत्र जंसी जाति मीना निवासी तुम्बीपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक राज0
2—मोरपाल पुत्र जंसी जाति मीना निवासी तुम्बीपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक राज0
—अपीलांट्स

बनाम

नायब तहसीलदार बनेठा जिला—टोक
—रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय नायब तहसीलदार बनेठा दिनांक 24.10.2017 मिसल नम्बर 1503/2017

उपस्थिति : (1) श्री राजकुमार मीणा,अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री मजहर आलम,,राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय **दिनांक 01.08.2022**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बनेठा ने अपने निर्णय दिनांक 24.10.2017 के द्वारा अपीलांट्स को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 131 रकबा 0.36 है0 मे से रकबा 0.04 है0 किस्म बारानी—2 वाके ग्राम तुम्बीपुरा तहसील उनियारा में राजकीय भूमि पर बाडा बनाकर अतिक्रमण करने के कारण पश्चातवर्ती अतिकमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने, 1200/रू. पेनल्टी कायम कर 60 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलांट्स ने नायब तहसीलदार बनेठा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट्स एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर अपीलांट की प्रोपर तामिल नही हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना [illegible] व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित [illegible] अपीलांट्स का उक्त आराजी से किसी भी प्रकार का कोई संबंध या सरोकार नही [illegible] अपीलांट्स द्वारा सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण कर बाडे का भी निर्माण नही किया है [illegible] के विरूद्व [illegible] रिपोर्ट पेश की है। तथाकथित आराजी अपीलांट्स के खातेदारी की भूमि के पा[illegible]त होने से जानवरो का थोडा सा चारा उक्त भूमि पर [illegible] रखा था। अपी[illegible] के विरूद्व पश्चातवर्ती अतिकमण साबित नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:32:02 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर सत्यमेव जयते टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट नही मगवाई ओर न मौके का निरीक्षण किया गया। अपीलांट्स ने कब्जा छोडने बावत शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट्स के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्ट्स को विवादित भूमि खसरा नम्बर नम्बर 131 रकबा 0.36 है0 मे से 0.04 है0,किस्म बारानी–2 वाके ग्राम तुम्बीपुरा तहसील उनियारा में राजकीय भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर बाडे बनाने पर नायब तहसीलदार बनेठा द्वारा भूमि से बेदखल करने, पेनल्टी कायम कर 60 दिवस की सिविल कारावास की दजा से दण्डित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है, जिस पर अपीलान्ट की विधिवत तामील हुई है,परन्तु अपीलान्ट न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जो पटवारी रिपोर्ट एंव बयान से सिद्व है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोडना नहीं चाहता है ओर राजकीय भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट्स को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलांट्स की ओर से लाला की तामील हुई है। अपीलान्ट्स अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नहीं हुये है। अपीलान्ट्स द्वारा भूमि खसरा नम्बर 131 रकबा 0.36 है0 मे से 0.04 है0 किस्म बारानी–2 वाके ग्राम तुम्बीपुरा तहसील उनियारा पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर कब्जा जोत कर अतिक्रमण किया है,जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एंव बयानो से सिद्व है। अपीलान्ट्स द्वारा दिनांक 28.12.2017 को न्यायालय हाजा में शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त आराजी पर हमारा कोई कब्जा अथवा अतिक्रमण नही है ओर ना ही कभी हमने उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया है,उक्त भूमि पर हमारा कोई पुख्ता निर्माण भी नही है और ना ही भविष्य मे कोई पुख्ता निर्माण करेगे। नायब तहसीलदार बनेठा ने उनके पत्र कमांक 1666 दिनाक 16.03.2021 से रिपोर्ट प्रेषित की है कि वर्तमान मे आ0ख0नं0 131 पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नही है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलांट्स आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बनेठा का निर्णय दिनांक 24.10.2017 इस शर्त के साथ अपास्त किया जाता है कि यदि अपीलाटस पुनः कब्जा करता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 01.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:32:02 IST
Reason: SelfAttested

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर
टोंक